

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	जम्बर अहकाम हुकम की में जा
29 $\frac{6}{17}$	<p>हुकमदी पेशी देवे पर पत्रावली भज पेश हुई। अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 25.8.17 को पेश हो।</p>	
25 $\frac{8}{17}$	<p>हुकमदी पेशी देवे पर पत्रावली भज पेश हुई। अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 6-10-17 को पेश हो।</p>	
6 $\frac{10}{17}$	<p>पत्रावली पेश हुई। ककलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 26-12-17 को पेश हो।</p>	
26 $\frac{12}{17}$	<p>पत्रावली पेश हुई। ककलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 13-3-18 को पेश हो।</p>	
24 $\frac{04}{18}$	<p>हुकमदी पेशी देवे पर पत्रावली भज पेश हुई। अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 28/6/18 को पेश हो।</p>	
13 $\frac{09}{18}$	<p>हुकमदी पेशी देवे पर अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 30/11/18 को पेश हो।</p>	
01 $\frac{02}{19}$	<p>हुकमदी पेशी देवे पर अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आपत्तितुल्य आर्डिन्दा दिनांक 5/5/18 को पेश हो।</p>	

09/05
पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
~~अनुमति~~ पीठासी. अधिकारी
को पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 22/08/19 को पेश हो

22/08
पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
अनुमति / पीठासी. अधिकारी
को पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 22/08/19 को पेश हो

14/11
वकील जयवीर उपा.। अज्ञातगीण की तलबी
हेतु पूर्व में वकील जयवीर को हिदायत
दी गई थी। आज दिनांक तक पेश नहीं।
वास्ते पेश होने तलबी अज्ञातगीण हेतु
अक्तिम खबर दिया जाना मिसल दिनांक
28/11/19 को पेश हो।

28/11
पत्रावली पेश हुई। उक्ता में बार-बार आवज
लगाई गई। बावजूद आवज लगाने वकलाग
अभ्यपन्न अथवा पत्रकारण में से कोई भी हाजिर
अदालत नहीं आया है। अतः उक्ता अदम
हाजिरी एवं अदम पैसी में खलीज किया
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो तथा बाद तकमील दायिल दफतर
हो। निर्गम खले न्यायालय में सुनाया गया।